न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 237/2022

अनवान मुकदमा –

1. सुखपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रामगढ़िया साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. हाकम सिंह पुत्र भाग सिंह जाति रामगढ़िया साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जसवीर सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रामगढ़िया साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. तेजपाल सिंह पुत्र हाकम सिंह जाति रामगढ़िया साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. जसवीर कौर पुत्री हाकम सिंह जाति रामगढ़िया साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. बलजिन्द्र कौर पुत्री हाकम सिंह जाति रामगढ़िया साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादी
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 5

–:: निर्णय :–

दिनांक –15/06/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है। वाद पत्र दो प्रतियो मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है।

वादी हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादी के दादा श्री भाग सिंह थे। जहां तक वाद पत्र का संबंध है सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 13 [illegible] 86 के प.नं. 50/264 के किला नं. 3, 6 ता 10, 14, 15 की कुल 1.898 है. [illegible] नहर [illegible] ताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चिन्हित जमाबन्दी [illegible] वाद पत्र की गई है ।

वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि मे वादी के दादा श्री [illegible] सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात उक्त कृषि [illegible] उनके वारिसों को ओद हुई । इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:52:31 IST
Reason: SelfAttested

15.06.2022

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा